उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाष : 0522–262173, 2274250

फैक्स : 0522–2623578, 2615526

ई–मेल आई.डी. :– (amopupsrtc@gmail.com)

पत्र सं0–24 आर0डब्ल्यू0ए0/18–3 ए/दुर्घ0/परिपत्र/2015 दिनाँक : 03/मई 2018

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियों एवं किये जाने वाले प्रयासों के निर्देश के सम्बन्ध में।

निगम बसों से हो रही दुर्घटनाओ की रोकथाम हेतु पूर्व मे प्रेषित किये गये निर्देश पत्र संख्या–199 आरडब्ल्यूए/14 दिनाँक 03.04.2014, पत्र संख्या–260 आरडब्ल्यूए/14 दिनाँक 26.05.2014, पत्र संख्या–15 आरडब्ल्यूए/15 दिनाँक 19.01.2015, पत्र संख्या–8784 सीईएनटी/15–45 निगम/2015 दिनाँक 21.12.2015, पत्र संख्या–740 आरडब्ल्यूए/15 दिनाँक 01.01.2016, पत्र संख्या–170 आरडब्ल्यूए/16 दिनाँक 10.08.2016, पत्र संख्या–215 आरडब्ल्यूए/16 दिनाँक 10.11.2016 एवं पत्र संख्या–56 आरडब्ल्यूए/17–3 ए/दुर्घ0/परिपत्र/2015 दिनाँक 08.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके तहत यह निर्देश दिये गये थे कि चालक द्वारा बस संचालन के दौरान मोबाइल पर बात करने हेतु तत्काल नियंत्रित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। यदि बस संचालन के दौरान किसी भी यात्री द्वारा चालक को मोबाइल पर बात करते हुए फोटो खिंचकर व्हॉटस ऐप के माध्यम से सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधिकारियों को भेजता है तो उस यात्री को रू0 1000.00 की धनराशि पुरूस्कारस्वरूप दी जायेगी एवं दोषी चालक से रू0 5000.00 की वसूली की जायेगी, जिसमें से रू0 4000.00 निगम खाते में जायेगा तथा रू0 1000.00 उस यात्री को दिया जायेगा। उपर्युक्त स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। ऐसी स्थितियों में चालक पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये है क्योंकि चालक के इस कृत्य से बस की दुर्घटना घटित होने से जान–माल व आर्थिक क्षति होने की सम्भावना भी बनी रहती है।

अतः परिवहन निगम की बसों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक हो गया है कि सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिपो अपने अधीनस्थ चालकों/परिचालकों को कड़े निर्देश दें कि बस संचालित करते समय कोई भी चालक मोबाइल का प्रयोजन नहीं करेगा। बस संचालन के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाये जाने पर उन चालकों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

चालक के इस कृत्य के लिए डिपो के फोरमैन/एस.एस.आई./सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक पर कार्यवाही की जा सकती है। अतः सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त आदेश के बारे में सभी चालकों को अवगत करा दिया जाये।

अनुबन्धित बस चालकों द्वारा बस संचालन के दौरान मोबाइल फोन पर बात करते हुए पाये जाने पर वाहन स्वामियों से रू0 5000.00 की कटौती किये जाने के आदेश है, परन्तु खेद का विषय है कि अभी भी अनुबन्धित बसो के चालक को वाहन संचालित करते समय मोबाइल पर गेम खेलते हुए पाया गया है। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है। ऐसे में सभी

Downloaded from www.upsrtc.com

क्षेत्रीय प्रबन्धक सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को अपने सभी अनुबन्धित बस मालिकों को टेकर अवगत करा दें कि चालक द्वारा यदि बस संचालन करते समय मोबाइल पर बात करते हुए या गेम खेलते हुए या व्हॉट्स ऐप करते हुए पाये जाते है तो वाहन स्वामी की कटौती निश्चित है एवं अनुबन्धित बस के मालिक को भी अनुबन्ध समाप्त का नोटिस दिया जाये और उन्हें यह निर्देश दिये जाते है कि वह भी चालक पर कड़ी कार्यवाही करें, ताकि बस को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सके एवं यात्रा करते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान की जा सके। इसके साथ-साथ सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक आरटीओ को दोषी चालक के लाइसेन्स कैंन्सिल करने का प्रस्ताव भेजें।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि दिये गये निर्देशों में शिथिलता बरती जाती है अथवा यदि किसी भी स्तर पर अधीनस्थ अधिकारियों/उपाधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त आदेशों का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उनके विरूद्ध तत्काल कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

\

(डॉ0बी0डी0आर0 तिवारी)
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सहायक प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2- सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3- मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0/संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4- समस्त प्रधान प्रबन्धक/समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5- प्रधानाचार्य (प्रशिक्षण संस्थान), उ0प्र0 परिवहन निगम, कानपुर।

(डॉ0बी0डी0आर0 तिवारी)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from
www.upsrtc.com